

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
भीखाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट, निवासी मौखाव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		चेनाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट, निवासी मौखाव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (88,92,53,188)

मुकदमा नम्बर 94/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

10.06.2025

प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 92, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12.06.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

12.06.25

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते उक्त वाद में मानवीय शूल से त्रुटिपूर्ण संकन होने से वाद पत्र में संलग्न शूल इन्तारेज लौटाये जाकर वाद जरिये विद्वे खारिज करने का पेश किया गया। आप्रति में व वादी वकील के निवेदन पर उक्त वाद इसी स्टेज पर जरिये विद्वे खारिज किया जाता है तथा उक्त वाद के संलग्न शूल इन्तारेज लौटाये जाने की अनुमति उदान की जाती है।
पत्रावली फेसत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल इफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)